

361/25-26

Print



Form A

See Rule 3(1)

Application for Right To InformationApplication No **RT251221000009** (Office Use Only)

To,

Public Information Office
Department : Road and Construction Department

1. Applicant Name : ARUN KUMAR SINGH
2. Address : Dis Madhepura
Ps Phulaut
Po Phulaut
District - MADHEPURA Block - CHAUSA Panchayat - None
Village - None Pin - 852219 State - Bihar

Information Sought

लोक सूचना पदाधिकारी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल जिला- सहरसा से- 1.मधेपुरा जिला अंतर्गत फुलौत ग्राम में विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माण हेतु ज्ञापांक- 602 दिनांक 16/06/2025 द्वारा कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल मधेपुरा पत्र के सन्दर्भ में खाता- 1931, खेसरा- 1409 के तहत रकबा- 7 डिसमिल (80 मीटर x 30 मीटर) फुलौत विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र अभी तक दी गई है की नहीं। उक्त प्रयोजनार्थ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने में विलम्ब का कारण बताने की कृपा की जाए। इस सन्दर्भ में प्राप्ति एवं निर्गत पत्रों की प्रति उपलब्ध कराई जाए।

Reply Remarks

--

I hereby declare that the Information I have asked for is related to your department/office and as per my knowledge it is not exempted under the sections 8 and 9 of RTI Act 2005.

I have paid Rs. 10/- to the Department / Office

Date : 21/12/2025

Applicant's Details

Email Id : arunsingh1946@gmail.com

Contact : +91-9570381943
No.Address : Dis Madhepura
Ps Phulaut
Po Phulaut
District - MADHEPURA Block - CHAUSA Panchayat -
None Village - None Pin - 852219 State - Bihar1994
8/10/20
24/12/25

This is system generated file, need not to be signed

(लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा अपने विभाग के किसी प्रशाखा से मांगी गयी सूचना हेतु)

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई०डी०सं०-361/25-26 8729(E) पटना, दिनांक-29/12/2025

प्रेषक:

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-33,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

महाशय,

श्री अरुण कुमार सिंह का जानकारी सूचना आवेदन संख्या-RT251221000009
दिनांक-21.12.2025 जो इस कोषांग में दिनांक-24.12.2025 को प्राप्त हुआ है,
(आई०डी०सं०-361/25-26) इसके साथ संलग्न किया जाता है :-

याचित सूचना आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है लेकिन याचित सूचना
आपके प्रशाखा से संबंधित है। अतः अधिनियम की धारा-5 (4) के आलोक में प्रपत्र-'क' को आपके
क्षेत्राधिकार/प्रशाखा से संबंधित सूचना हेतु संलग्न किया जाता है।

विदित हो कि अधिनियम की धारा-5 (5) के आलोक में आपके द्वारा ससमय सूचना
उपलब्ध कराना आवश्यक है एवं आवेदक को प्रपत्र-'क' विभाग में प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिनों
के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अतः एक सप्ताह के अन्दर सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के आलोक में वांछित
सूचना दो सेट में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

लोक सूचना पदाधिकारी
दिनांक-29/12/2025

ज्ञापांक-8729(E)

प्रतिलिपि: उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-33 पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लोक सूचना पदाधिकारी
पंजीयन सं०.....
दिनांक-.....

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक-प्र०-33 (भू० अधि०) 02/2026 752(E) ^{वे}
प्रेषक,

पटना, दिनांक-31/01/2026

प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा-33,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री अरुण कुमार सिंह का जानकारी सूचना आवेदन सं०--RT251221000009 दिनांक-21.12.2025 (आई०डी०सं०-361/2025-26) के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-8729(E) we दिनांक-29.12.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में श्री अरुण कुमार सिंह का जानकारी सूचना आवेदन सं०--RT251221000009 दिनांक-21.12.2025 (आई०डी०सं०-361/2025-26) द्वारा याचित सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग के वाद एफ संख्या-सी०आई०सी०/ए०टी०ए०/2006/00045, दिनांक-21 अप्रैल 2006 के आलोक में देय नहीं है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,


(संजीत कुमार गुप्ता)

188 2026
800000
02/02/26
मुनी लाल
मुनी लाल
02-02-26

8. सूचनार्थी को लोक सूचना पदाधिकारी से उनका अभिमत, स्पष्टीकरण एवं व्याख्या की माँग करने का अधिकार नहीं ।

राजीव गुप्ता ने लोक सूचना पदाधिकारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार कार्यालय (एम/वाणिज्य) से निर्यात लाभ की वसूली आदि से संबंधित सूचना की माँग की ।

न्यायादेश

आयोग ने यह पाया कि अपीलकर्ता ने वस्तुतः सामग्री के रूप में सूचना नहीं माँगी है । अभिमत, स्पष्टीकरण आदि से संबंधित सूचना जो लोक सूचना पदाधिकारी के पास सामग्री के रूप में उपलब्ध नहीं है और जो दरअसल सूचना की श्रेणी में नहीं आती हैं, की माँग करने का अधिकार अपीलकर्ता को कतई प्राप्त नहीं है । इस सिलसिले में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च), 2(झ) और 2(त्र) का संयुक्त रूप से पठन करने से इस बात की जानकारी हासिल होती है कि "किसी रूप में कोई सामग्री" ही सूचना की श्रेणी में है और इससे भिन्न किसी भी प्रकार की सूचना माँगने का अधिकार नागरिकों को नहीं है ।

वर्णित न्याय-निर्णय में अधिनियम की धारा-2(च), 2(झ) और 2(त्र) की स्पष्ट विवेचना एवं विश्लेषण निहित है ।

(अपील संख्या 151/आई.सी.पी.बी./2006, एक संख्या पी.बी.ए./06/232 दिनांक 06 नवम्बर, 2006)

9. "हाँ" या "ना" में पूछे गये प्रश्नों का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है ।

ए. एक्स. एस. जीवन ने अपने एक सहकर्मी के वेतन भुगतान एवं अवकाश की स्वीकृति के बारे में प्रश्न पूछते हुये लोक सूचना पदाधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क सुरा कमिश्नरी, गुजरात से "हाँ" या "ना" में उत्तर देने का अनुरोध किया ।

न्यायादेश

आयोग ने धारित किया कि अधिनियम के प्रावधान के आलोक में "हाँ" या "ना" में सूचना नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इस प्रकार की सूचना धारा-2(च) के अन्तर्गत अनुरोधकर्ता के पहुँच योग्य नहीं है ।

विभिन्न मामलों में पूर्वादेशों में सूचना की व्याख्या एवं विवेचना की गयी है । वर्तमान मामले में इसी प्रकार "हाँ" या "ना" के रूप में सामग्री नहीं होने की वजह से खारिज किया गया ।

(अपील संख्या 20/आई.सी.(ए.)/2006, एक संख्या 11/97/2006 सी.आई.सी., दिनांक 29 मार्च, 2006)

10. लोक सूचना पदाधिकारी को क्यों, क्या, कब आदि के माध्यम से पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देने की बाध्यता नहीं ।

डॉ. डी. वी. राव ने क्यों, क्या, कब, आदि उपसर्गों के माध्यम से लोक सूचना पदाधिकारी, विधि कार्य विभाग से अनेक प्रश्न पूछे ।

न्यायादेश

अयोग ने अपने न्याय-निर्णय में यह उल्लेख किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन उन्हीं कोटियों की सूचना दी जा सकती है जिन्हें इस धारा में अंकित किया गया है । आयोग ने इस तथ्य को भी स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता को लोक सूचना पदाधिकारी से उनके कृत्यों की प्रकृति एवं गुणवत्ता के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त नहीं है ।

इस न्याय निर्णय से यह विदित होता है कि प्रासंगिक धारा के अन्तर्गत आवेदक लोक सूचना पदाधिकारी से वही प्रश्न पूछ सकता है जो सामग्री के रूप में उनके पास उपलब्ध हो । लोक सूचना पदाधिकारी के कार्यों के बारे में प्रश्न पूछना सूचना की श्रेणी में नहीं आता है । अतः इस मामले में अपीलकर्ता को सूचना प्रदान किये जाने से इंकार करना नियमसंगत है ।

(एफ. संख्या सी.आई.सी./ए.टी./ए./2006/00045, दिनांक 21 अप्रैल, 2006)

11. अधिनियम में व्यक्तिगत सूचना देने का प्रावधान नहीं

जी. आर. पथराबे ने अपने विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित कतिपय बिन्दुओं पर लोक सूचना पदाधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग के व्यक्तिगत मंतव्य की माँग की थी ।

प्रपत्र 'घ'
(सूचना उपलब्ध कराना)
(नियम 4 (1) देखें)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई०डी०सं०-361/25-26 904(E) पटना, दिनांक-6/02/2026

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

श्री अरुण कुमार सिंह,
Village+Post-Phulaut,
Block-Chausa, P.s-Phulaut
Dist-Madhepura, Pin-852219,
Mo-9570381943

महाशय,

यह आपके जानकारी सूचना आवेदन संख्या-RT251221000009 दिनांक-21.12.2025 जो इस कोषांग में दिनांक-24.12.2025 को प्राप्त हुआ है, (आई०डी०सं०-361/25-26) में देय/अदेय सूचना के संबंध में है :-

2. याचित सूचना संबंधी प्रतिवेदन प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-33, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-752 (ई)अनु० दिनांक-31.01.2026 से प्राप्त है, को संलग्न किया जाता है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ज्ञापक-904(E)

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-33, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लोक सूचना पदाधिकारी
पटना, दिनांक-6/02/2026

लोक सूचना पदाधिकारी

कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन सं०.....
दिनांक-.....